राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

निगरानी संख्या – 1152/2017/अलवर.

हरीश यादव पुत्र श्री धनीराम यादव,
निवासी मकान संख्या–856 सेक्टर–14, गुडगांव (हरियाणा) .....प्रार्थी.

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये उप–पंजीयक तिजारा, अलवर. .....अप्रार्थी.

खण्डपीठ
श्री के. एल. जैन, सदस्य
श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री रोहित सोनी, अभिभाषक .....प्रार्थी की ओर से.
श्री आर. के. अजमेरा,
उप–राजकीय अभिभाषक .....अप्रार्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 10/10/2017

निर्णय

1. प्रार्थी द्वारा यह निगरानी प्रार्थना–पत्र कलेक्टर (मुद्रांक), अलवर (जिसे आगे **'कलेक्टर (मुद्रांक)'** कहा जायेगा) के प्रकरण संख्या 188/2015 की जांच प्रक्रिया में सुनवाई के दौरान प्रार्थी द्वारा कलेक्टर (मुद्रांक) के समक्ष लम्बित प्रकरण में शिकायतकर्ता को तलब करने हेतु निवेदन किया गया था, किन्तु कलेक्टर (मुद्रांक) ने उक्त सम्बन्ध में प्रार्थना–पत्र को अस्वीकार किया गया है जिसके विरूद्ध यह निगरानी धारा 65 के तहत प्रस्तुत की गयी है।

2. प्रस्तुत निगरानी जिस आदेश के विरूद्ध किया जाना बताया गया है वह कलेक्टर (मुद्रांक) का किसी विधि के तहत आदेश या निर्णय नहीं है बल्कि उक्त प्रार्थी के विरूद्ध यह शिकायत प्राप्त होने पर कि उनके द्वारा तीन इकरारनामे निष्पादित किये गये थे परन्तु उनका पंजीयन नहीं करवाया गया था अतः इस सम्बन्ध में प्रकरण पंजीकृत कर जांच प्रारम्भ की गई एवं प्रार्थी से ऐसे इकरारनामे प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया। प्रार्थी द्वारा इस निर्देश की पालना नहीं कर कलेक्टर (मुद्रांक) से शिकायतकर्ता को तलब करने एवं दस्तावेजों की प्रतियां चाही गई तब कलेक्टर (मुद्रांक) ने विभागीय जांच प्रक्रिया के दौरान "हुक्म कार्यवाही" में यह सूचना दी कि शिकायतकर्ता द्वारा इकरारनामा की प्रति उपलब्ध नहीं कराई गई है एवं प्रार्थी ने भी इकरारनामा की प्रति उपलब्ध नहीं कराई है अतः इस पर कार्यवाही करना समय व्यर्थ करना बताते हुए जांच कार्यवाही को आगे बढ़ाते हुए बहस करने का अवसर दिया है। इस तरह यह कार्यालय टिप्पणी एवं निर्देश कलेक्टर (मुद्रांक) के आदेश की श्रेणी में नहीं है बल्कि जांच प्रक्रिया के दौरान दस्तावेज उपलब्ध न होने का

लगातार.....2

उल्लेख एवं सूचित करना है अतः बिना किसी आदेश के जांच प्रक्रिया के दौरान कार्यवाही पर धारा 65 के अधीन निगरानी योग्य नहीं है क्योंकि यह प्रक्रियात्मक निर्देश अध्याय 4, 5 एवं धारा 29 एवं 35 से सम्बन्धित नहीं है अतः श्रवण योग्य नहीं होने से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र खारिज किया जाता है। प्रार्थी के विरूद्ध यदि कोई विधिक आदेश पारित किया जाता है तो वे निगरानी करने के लिये स्वतंत्र हैं। इस प्रकार प्रकरण कलेक्टर (मुद्रांक) के स्तर पर लम्बित होने से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी ग्रहण योग्य नहीं होने से अस्वीकार की जाती है।

3. निर्णय सुनाया गया।

(मदन लाल मालवीय)
सदस्य

(के. एल. जैन)
सदस्य